



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939

No. 326]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

**सा.का.नि. 415(अ).**—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) संशोधन नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 19 के उपनियम (4) में "संगणित" शब्द के स्थान पर "240 दिन की संगणित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए" शब्द रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों के नियम 60 के खंड (7) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
"(8) पैतृत्व अवकाश ;";
- उक्त नियमों के नियम 63 में,—  
(क) उपनियम (2) में "240 दिन" अंक और शब्द के स्थान पर "270 दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;  
(ख) उपनियम (3) में "उसकी मृत्यु की तारीख" शब्दों के स्थान पर "अधिकतम 240 दिन के अधीन रहते हुए, उसकी मृत्यु की तारीख" शब्द रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों के नियम 66 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
"66क. पैतृत्व अवकाश-(1) सक्षम प्राधिकारी पुरुष कर्मचारी को जिसके दो से कम जीवित बालक हैं, को उसकी पत्नी के परिरोध की अवधि के दौरान 15 दिन का पैतृत्व अवकाश अनुदत्त कर सकेगा।  
(2) पैतृत्व अवकाश को सिवाय आकस्मिक अवकाश के किसी अन्य अवकाश के साथ सहयुक्त किया जा सकेगा।  
(3) पैतृत्व अवकाश को अवकाश खाते के नामे नहीं डाला जाएगा।

(4) पैतृत्व अवकाश का कर्मचारी द्वारा बालक के जन्म की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उपयोग किया जाएगा और इसका उपयोग छह मास की उक्त अवधि के अवसान से पूर्व किया जाएगा।

(5) पैतृत्व अवकाश के लिए आवेदन, जो उपनियम (4) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, को बिना कोई कारण समनुदेशित किए बिना इंकार कर दिया जाएगा।"।

6. उक्त नियमों के नियम 69 के उपनियम (5) में दोनों स्थानों पर "और करंतीन अवकाश" शब्दों के स्थान पर "करंतीन अवकाश और पैतृत्व अवकाश" शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियमों की अनुसूची 4 में,—

(i) नियम सं. 61, 65, 66 एवं 68 से संबंधित पहले स्तंभ के अधीन "61, 65, 66 और 68" अंकों और शब्द के स्थान पर "61, 65, 66, 66क और 68" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे स्तंभ के अधीन "शक्ति की प्रकृति" शीर्ष से संबंधित प्रविष्टियों में "करंतीन अवकाश" शब्दों के स्थान पर "करंतीन अवकाश और पैतृत्व अवकाश" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस.-11012/06/2015-बीमा 1]

एन. श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना, तारीख 23 जुलाई, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्तवर्ती संशोधन अधिसूचना तारीख 20-01-1962, 01-12-1962, 14-04-1962, 30-03-1963, 03-08-1963, 28-12-1963, 01-02-1964, 02-05-1964, 22-08-1964, 03-10-1964, 16-01-1965, 05-06-1965, 19-06-1965, 17-07-1965, 11-09-1965, 06-11-1965, 27-11-1965, 08-01-1966, 19-02-1966, 26-02-1966, 26-03-1966, 23-04-1966, 18-06-1966, 03-09-1966, 10-09-1966, 01-10-1966, 22-10-1966, 31-12-1966, 18-02-1967, 11-02-1967, 01-04-1967, 15-04-1967, 29-04-1967, 22-07-1967, 19-08-1967, 30-07-1967, 02-03-1968, 30-03-1968, 08-06-1968, 15-06-1968, 08-03-1969, 12-04-1969, 26-04-1969, 14-06-1969, 19-07-1969, 23-01-1971, 07-08-1971, 19-06-1971, 07-10-1972, 18-11-1972, 16-12-1972, 04-05-1974, 31-05-1975, 13-12-1975, 22-04-1976, 12-06-1976, 10-07-1976, 28-08-1976, 21-01-1977, 23-04-1977, 04-06-1977, 21-07-1977, 12-11-1977, 01-04-1978, 26-05-1978, 31-05-1978, 01-07-1978, 07-10-1978, 04-11-1978, 19-12-1978, 08-12-1979, 10-05-1980, 23-12-1983, 10-05-1988 और सा.का.नि. सं. 1166(अ) तारीख 09-12-1988, सा.का.नि. सं. 855(अ), तारीख 25-09-1989, सा.का.नि. सं. 745(अ) तारीख 13-12-1993, सा.का.नि. सं. 598(अ), तारीख 30-06-1995, सा.का.नि. सं. 644(अ), तारीख 19-09-1995, सा.का.नि. सं. 262 (अ), तारीख 22-05-1998, सा.का.नि. सं. 281(अ), तारीख 23-04-1999, सा.का.नि. सं. 444(अ), तारीख 18-06-1999, सा.का.नि. सं. 584(अ), तारीख 10-08-1999, सा.का.नि. सं. 554(अ), तारीख 22-06-2000, सा.का.नि. सं. 668(अ), तारीख 26-10-2006, सा.का.नि. सं. 160(अ), तारीख 03-03-2008, सा.का.नि. सं. 401(अ), तारीख 13-05-2010, सा.का.नि. सं. 829(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2010, सा.का.नि. सं. 471(अ) तारीख 10 जुलाई, 2013 और सा.का.नि. सं. 1161(अ) तारीख 21 दिसंबर, 2016 और सा.का.नि. सं. 282(अ) तारीख 23 मार्च, 2017 द्वारा किए गए।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

(INSURANCE DIVISION)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2017

**G.S.R. 415(E).**—in exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Staff) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 19, in sub-rule (4), for the word "calculated" the words "subject to maximum of 240 days, calculated" shall be substituted.

3. In rule 60B of the said rules, after clause (7), the following clause shall be inserted, namely:—

“(8) Paternity Leave;”;

4. in rule 63 of the said rules,-

(a) in sub-rule (2), for the figures and word “240 days”, the figures and word “270 days” shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), for the words “date of his death” the words “date of his death, subject to maximum of 240 days,” shall be substituted.

5. After rule 66 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

“66A. Paternity Leave.— (1) The competent authority may grant to a male employee having less than two surviving children, paternity leave for a period of 15 days during the confinement of his wife.

(2) The Paternity Leave may be combined with leave of any other kind except Casual Leave.

(3) The Paternity Leave shall not be debited against the leave account.

(4) The Paternity Leave shall be utilised by the employee within a period of six months from the date of delivery of the Child and may be applied within a period of 15 days before the expiry of the said period of six months.

(5) An application for Paternity Leave which does not satisfy the requirements of sub-rule (4) shall be refused without assigning any reason.”.

6. In rule 69 of the said rules, in sub-rule (5), for the words “and Quarantine Leave” the words “Quarantine Leave and Paternity Leave” at both the places shall be substituted.

7. In Schedule IV to the said rules,—

(i) in the entries under the first column relating to rules no. 61, 65, 66 & 68, for the figures and word “61, 65, 66 and 68”, the figures, letter and word “61, 65, 66, 66A and 68” shall be substituted;

(ii) in the entries under the second column relating to heading “Nature of Power”, for the words “Quarantine leave”, the words “Quarantine leave, Paternity leave,” shall be substituted.

[F. No. S-11012/06/2015-Ins.1]

Dr. N. SRINIVASA RAO, Economic Advisor

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India vide notification dated 23rd July, 1960 and subsequently amended vide notifications dated 20-01-1962, 01-12-1962, 14-04-1962, 30-03-1963, 03-08-1963, 28-12-1963, 01-02-1964, 02-05-1964, 22-08-1964, 03-10-1964, 16-01-1965, 05-06-1965, 19-06-1965, 17-07-1965, 11-09-1965, 06-11-1965, 27-11-1965, 08-01-1966, 19-02-1966, 26-02-1966, 26-03-1966, 23-04-1966, 18-06-1966, 03-09-1966, 10-09-1966, 01-10-1966, 22-10-1966, 31-12-1966, 18-02-1967, 11-02-1967, 01-04-1967, 15-04-1967, 29-04-1967, 22-07-1967, 19-08-1967, 30-07-1967, 02-03-1968, 30-03-1968, 08-06-1968, 15-06-1968, 08-03-1969, 12-04-1969, 26-04-1969, 14-06-1969, 19-07-1969, 23-01-1971, 07-08-1971, 19-06-1971, 07-10-1972, 18-11-1972, 16-12-1972, 04-05-1974, 31-05-1975, 13-12-1975, 22-04-1976, 12-06-1976, 10-07-1976, 28-08-1976, 21-01-1977, 23-04-1977, 04-06-1977, 21-07-1977, 12-11-1977, 01-04-1978, 26-05-1978, 31-05-1978, 01-07-1978, 07-10-1978, 04-11-1978, 19-12-1978, 08-12-1979, 10-05-1980, 23-12-1983, 10-05-1988 and vide G.S.R. No. 1166(E) dated 09-12-1988, G.S.R. No. 855(E), dated 25-09-1989, G.S.R. No. 745(E) dated 13-12-1993, G.S.R. No. 598(E), dated 30-06-1995, G.S.R. No. 644(E), dated 19-09-1995, G.S.R. No. 262 (E), dated 22-05-1998, G.S.R. No. 281(E), dated 23-04-1999, G.S.R. No. 444(E), dated 18-06-1999, G.S.R. No. 584(E), dated 10-08-1999, G.S.R. No. 554(E), dated 22-06-2000, G.S.R. No. 668(E), dated 26-10-2006, G.S.R. No. 160(E), dated 03-03-2008, G.S.R. No. 401(E), dated 13-05-2010, G.S.R. No. 829(E), dated 8th October, 2010, G.S.R. No. 471(E) dated 10th July, 2013, and G.S.R. No. 1161(E) dated 21<sup>st</sup> December, 2016 and G.S.R. No. 282(E) dated 23<sup>rd</sup> March, 2017.